परिशिष्ट

झारखण्ड सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

मंत्रिपरिषद् हेतु संलेख

विषय :– राजकीय क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित बी0आई0टी0, सिन्दरी अभियंत्रण महाविद्यालय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के नए मापदंडों के अनुसार शिक्षक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्यान्तर्गत तकनीकी शिक्षा के समग्र विकास, राज्य के गरीब छात्र–छात्राओं को सरल एवं सुलभ तरीके से तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने एवं राज्य के मेधावी छात्र–छात्राओं को अन्य प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने हेतु पलायन को रोकने तथा राज्य में उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृत्तसंकल्प है। सरकार के इस संकल्प के आलोक में पूर्व से झारखण्ड राज्य में कुल एक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित हैं। इस संस्थान में शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली द्वारा अभियंत्रण संस्थानों के लिए निर्धारित नए मापदंड के अनुसार शिक्षक पदों का रहना आवश्यक है। शिक्षक की संख्या का निर्धारण प्रत्येक संस्थान में शिक्षक छात्र अनुपात AICTE के Guideline के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/प्राध्यापक पदों की गणना निर्धारित मापदंड के अनुसार की गई है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र का अनुपात निम्न प्रकार है:– UG स्तर पर 1:15 एवं PG स्तर पर 1:12.

3. वर्त्तमान में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बी0आई0टी0, सिन्दरी में छात्र प्रवेश क्षमता में समरूपता लाने के दृष्टिकोण से छात्र प्रवेश क्षमता के आधार पर विभिन्न पदों की आवश्यकता है जिसे निम्न तालिकाओं में अंकित किया गया है:–

तालिका– 'क'

अभियंत्रण महाविद्यालय में **AICTE** Norms के आधार पर प्राध्यापक का आवश्यकता आधारित पदों की विवरणी :–

विषय	छात्रों की संख्या	AICTE Norms के अनुसार पदों की आवश्यकता		प्राध्यापक (UG/PG)						पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या
				पूर्व से स्वीकृत पद		AICTE Norms के अनुसार आवश्यकता के अतिरिक्त पद		प्रत्यार्पित किये जाने वाले पद	AICTE Norms के अनुसार कुल अतिरिक्त पदों की आवश्यकता	
	(UG/PG)	UG	PG	UG	PG	UG	PG			
यांत्रिकी अभि0	453/125	04	04	03	01	01	03		04	04
विद्युत अभि0	426/60	04	02	02	01	02	01		03	03
उत्पादन अभि0	231/25	01	01	01	-	-	01		01	01
धातु कर्म अभि	231/80	01	02	01	01	-	01		01	01
रसायनिक अभि0	391/50	02	01	01	01	01	-		01	01
असैनिक अभि0	422/100	02	03	03	00	-01	03		02	02
गणित	--	01	00	02	00	00	-	01	00	00
							कुल :	01	12	12

तालिका – ख

अभियंत्रण महाविद्यालय में AICTE Norms के आधार पर सह–प्राध्यापक का आवश्यकता आधारित पदों की विवरणी :–

विषय	छात्रों की संख्या	सह प्राध्यापक (UG/PG)								पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या
		AICTE Norms के अनुसार पदों की आवश्यकता		पूर्व से स्वीकृत पद		AICTE Norms के अनुसार आवश्यकता के अतिरिक्त पद		प्रत्यार्पित किये जाने वाले पद	AICTE Norms के अनुसार कुल अतिरिक्त पदों की आवश्यकता	
	UG/PG	UG	PG	UG	PG	UG	PG			
यांत्रिकी अभि0	453/125	09	08	07	02	02	06		08	08
विद्युत अभि0	426/60	08	04	03	02	05	02		07	07
धातुकर्म अभि	231/80	02	05	01	01	01	04		05	05
रसायनिक अभि0	391/50	04	03	04	00	00	03		03	03
असैनिक अभि0	422/100	04	06	03	00	01	06		07	07
इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन	223/00	04	00	03	00	01	00		01	01
कम्प्यूटर साईस एवं इंजीनियरिंग	164/00	02	00	01	00	01	00		01	01
रसायन शास्त्र	--	01	00	02	00	00	00	01	00	00
गणित	--	02	00	03	00	00	00	01	00	00
एम0बी0ए0	--	01	00	00	01	01	00	01	01	01
							कुलः-	03	33	33

तालिका–'ग'

अभियंत्रण महाविद्यालय में AICTE Norms के आधार पर सहायक प्राध्यापक का आवश्यकता आधारित पदों की विवरणी :–

विषय	छात्रों की संख्या	सहायक प्राध्यापक (UG/PG)						प्रत्यार्पित किये जाने वाले पद	AICTE Norms के अनुसार कुल अतिरिक्त पदों की आवश्यकता	पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या
		AICTE Norms के अनुसार पदों की आवश्यकता		पूर्व से स्वीकृत पद		AICTE Norms के अनुसार आवश्यकता के अतिरिक्त पद				
	UG/PG	UG	PG	UG	PG	UG	PG			
यांत्रिकी अभि0	453/125	27	-	33	02	00	00	08	00	00
विद्युत अभि0	426/60	22	-	12	02	10	00	02	10	10
उत्पादन अभि0	231/25	08	-	04	-	04	-		04	04
धातुकर्म अभि	231/80	09	-	07	02	02	00	02	02	02
रसायनिक अभि0	391/50	14	-	06	-	08	-		08	08
असैनिक अभि0	422/100	14	-	15	-	00	-	01	00	00
इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन	223/00	12	-	10	-	02	-		02	02
खनन	211/00	07	-	03	-	04	-		04	04
कम्प्यूटर साईस एवं इंजीनियरिंग	164/00	06	-	02	-	04	-		04	04
भौतिकी	--	03	-	06	-	00	-	03	00	00
रसायन शास्त्र	--	03	-	05	-	00	-	02	00	00
भूगर्भशास्त्र	--	03	-	02	-	01	-		01	01
एम0बी0ए0	--	03	-	00	00	03	-		03	03
							कुलः–	08	38	38

11
6

4. कंडिका 03 में अंकित प्रवेश क्षमता के अनुसार शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:15 एवं 10 प्रतिशत ट्रेनिंग/उच्च शिक्षा हेतु Leave Reserve को ध्यान में रखते हुए प्राध्यापक के कुल 12 पद तथा सह प्राध्यापक के 33 पद एवं सहायक प्राध्यापक के 38 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव है तथा प्राध्यापक के 01 पद सह प्राध्यापक के 03 पद एवं सहायक प्राध्यापक के 18 पद के 18 पद प्रत्यार्पित किए जाने का प्रस्ताव है। जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित की जा रही है।

तालिका–'घ'
विभिन्न पदों की सारांश विवरणी:–

क्र0 सं0	पदनाम	AICTE Norms के अनुसार विभिन्न विषयों में पदों की आवश्यकता	पूर्व से स्वीकृत पद	AICTE Norms के अनुसार कुल अतिरिक्त पदों की विभिन्न विषयों में आवश्यकता	प्रत्यार्पित किये जाने वाले वे पद जिनकी आवश्यकता AICTE Norms के अनुसार अब नहीं है।	पदवर्ग समिति द्वारा प्रत्यर्पित किये जाने पदों की संख्या
01.	प्राध्यापक	36	25	12	01 (गणित)	01 (गणित)
02.	सह प्राध्यापक	73	42	33	03 (रसायन 01, गणित 01 एवं एम0बी0ए0, पी0जी0 01)	03 (रसायन 01, गणित 01 एवं एम0बी0ए0, पी0जी0 01)
03.	सहायक प्राध्यापक	148	128	38	18 (यांत्रिक 08, विद्युत 02, धातुकर्म 02, असैनिक 01, भौतिकी 03, रसायनिक 02)	18 (यांत्रिक 08, विद्युत 02, धातुकर्म 02, असैनिक 01, भौतिकी 03, रसायनिक 02)

5. सृजित किए जाने वाले पदों पर कुल वार्षिक व्यय 12 (बारह) प्राध्यापक के पदों पर 1,41,32,160 (एक करोड़ एकतालीस लाख बत्तीस हजार एक सौ साठ) रू0 33 (तैंतीस) सह–प्राध्यापक के पदों पर 3,80,71,440 (तीन करोड़ अस्सी लाख एकहत्तर हजार चार सौ चालीस) रू0 एवं 38 (अडतीस) सहायक–प्राध्यापक के पदों पर 2,12,22,240 (दो करोड़ बारह लाख बाईस हजार दो सौ चालीस) रू0 कुल 7,34,25,840/– (सात करोड़ चौतीस लाख पचीस हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र व्यय होने की सम्भावना है।

6. उक्त स्थापना पर होने वाले व्यय गैर–योजना बजट मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघुशीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–45–स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण से विकलनीय होगा।

7. उपर्युक्त तालिका क, ख एवं ग में वर्णित प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक–प्राध्यापक के पदों (राजपत्रित पदों) की भर्ती के लिए योग्यता, अहर्त्ता एवं वेतनमान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मापदण्ड के अनुसार होगा। जिस बिन्दु पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का मापदण्ड निर्धारित नही है उस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्ड मान्य होगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेश संख्या 784 दिनांक 31.03.2012 स्वीकृत सेवा शर्त में किए गए सुधार के साथ लागू होगा। शिक्षक पदों (राजपत्रित पदों) पर नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर होगी।

8. इन स्वीकृत पदों पर कुल अनुमानित व्यय 7,34,25,840/– (सात करोड़ चौतीस लाख पचीस हजार आठ सौ चालीस रूपये) होगी।

9. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर वित्त विभाग/प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

11. कंडिका 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 पर के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

ह0/–
(डॉ0 ए0 के0 पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0स्था0(बी0आई0टी0)–18/012 3237 /राँची, दिनांक :– 19/11/13

प्रतिलिपि– संलेख की अतिरिक्त 30 प्रतियों के साथ वित्त विभाग, प्रशासी पद वर्ग समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

18/11/13
(डॉ0 ए0 के0 पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव